YOJANASEWA.COM

https://yojanasewa.com

यूपी पेंशन वृद्धा, विधवा और दिव्यांगों को अब मिलेंगे 1500 महीना!

विषय सूची (Table of Contents):

>> यूपी में नई पेंशन सौगात बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में 500 का इ...

>> वृद्धावस्था पेंशन योजना अब सालाना मिलेंगे 18,000, आयु प्रमाण पत्र को लेकर बदले...

>> आयु प्रमाण पत्र से जुड़े नए नियम...

>> शहरी क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक नियम...

>> विधवा पेंशन योजना   1500 की आर्थिक मदद के साथ महिलाओं को मिलेगा फ्री आवास और इला...

>> मुफ्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ...

>> दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन हर महीने 3000 तक की सहायता राशि और मुफ्त बस सफर...

>> कुष्ठ रोग पीड़ितों के लिए विशेष वित्तीय सहायता...

>> अतिरिक्त सरकारी लाभ और सुविधाएं...

>> तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए योजना मासिक पेंशन के साथ मुफ्त मकान व स्...

>> एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए विशेष नियम...

>> मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हादसे या आपदा में जान गंवाने वाले किसानों...

>> यूपी की बड़ी पेंशन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज और आय सीमा...

>> 1. वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता व आय...

>> 2. विधवा पेंशन के लिए पात्रता व आय...

>> 3. दिव्यांग पेंशन के लिए पात्रता व आय...

>> योजनाओं के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया और समाज कल्याण विभाग का टोल-फ्री हेल्पलाइ...

>> आवेदन करने के सरल स्टेप्स...

>> आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर...

>> निष्कर्ष...

>> जनता के सवाल (FAQs)...

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद नागरिकों को एक बड़ी सौगात दी है। सरकार ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत दी जाने वाली राशि में 500 प्रति माह की महत्वपूर्ण वृद्धि की है। इस फैसले से यूपी के लाखों बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को अब पहले से अधिक आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी।

पेंशन राशि में बढ़ोतरी के अलावा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को मुफ्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी अन्य बड़ी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का भी ऐलान किया है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और सरकार की इन लाभकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए इसlatest updateमें सभी 8 बड़ी पेंशन योजनाओं की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।

यूपी में नई पेंशन सौगात: बुजुर्गों, विधिवाओं और दिव्यांगों की

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से पेंशन राशि को 1000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 प्रतिमाह कर दिया गया है। सरकार के इस कदम का सीधा उद्देश्य महंगाई के इस दौर में समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों को संबल प्रदान करना है। इस बढ़ोतरी के बाद अब लाभार्थियों को हर तीन महीने में मिलने वाली किस्त में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

राज्य सरकार इन योजनाओं के जरिए न केवल सीधे बैंक खातों में आर्थिक मदद भेज रही है, बल्कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियमों में भी कुछ अहम बदलाव किए हैं। अगर आप केंद्र सरकार की योजनाओं में रुचि रखते हैं, तोपीएम किसान: बिना 1 पैसा दिए पाएं 3000 महीना पेंशन, जानिए कैसे!पर जाकर अन्य पेंशन लाभों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

वृद्धावस्था पेंशन योजना: अब सालाना मिलेंगे 18,000, आयु प्रम

यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Pension Scheme) के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को अब हर साल कुल 18,000 की वित्तीय सहायता मिलेगी। पहले प्रतिमाह 1000 दिए जाते थे, जिसे अब बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। सरकार द्वारा हर तीसरे महीने 4500 की त्रैमासिक किस्त सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में (DBT के माध्यम से) ट्रांसफर की जाती है।

आयु प्रमाण पत्र से जुड़े नए नियम

पेंशन के नियमों को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने नए शासनादेश में आयु प्रमाण पत्र के नियमों को बदल दिया है। अब आवेदन के समय आयु के साक्ष्य के रूप मेंआधार कार्ड (Aadhaar Card) को मान्य नहीं किया जाएगा। बुजुर्गों को अपनी सही उम्र साबित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का उपयोग करना होगा:

>> हाईस्कूल (10वीं) की मार्कशीट या सर्टिफिकेट

>> ग्राम पंचायत द्वारा जारी परिवार रजिस्टर की नकल

शहरी क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक नियम

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जिन बुजुर्गों के पास परिवार रजिस्टर नहीं है, वे अपनी उम्र के प्रमाण के लिए वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड की फोटोकॉपी का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदकों को एक सेल्फ डिक्लेरेशन (स्व-घोषणा पत्र) देना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

विधवा पेंशन योजना: 1500 की आर्थिक मदद के साथ महिलाओं को मिलि

पति की मृत्यु के बाद बेसहारा और आर्थिक संकट से जूझ रही महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना एक बड़ा सहारा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में घोषणा की है कि इस योजना के अंतर्गत आने वाली पात्र महिलाओं को भी अब 1000 की जगह 1500 प्रति माह (सालाना 18,000) की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

मुफ्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ

इस योजना का सबसे बड़ा नया अपडेट यह है कि अब विधवा महिलाओं को केवल पेंशन तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा। सरकार इन महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उन्हें निम्नलिखित योजनाओं से भी सीधे जोड़ेगी:

>> प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मुफ्त पक्का मकान।

>> आयुष्मान भारत योजनाऔर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज।

अगर आप उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार के निवासी हैं और अपनी सरकारी योजनाओं के अटके पैसे की जानकारी चाहते हैं, तोपीएम किसान और आवास योजना का अटका पैसा मिलेगा! 17-18 जून को महा-शिविरकी रिपोर्ट देख सकते हैं।

दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन: हर महीने 3000 तक की सहायता

शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम नागरिकों के लिए दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लगभग 11 लाख दिव्यांगजनों को प्रति माह 1000 की सहायता राशि दी जा रही है, जो हर तीन महीने में 3000 के रूप में बैंक खातों में जमा होती है। इसके लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दिव्यांगता का स्तर कम से कम 40% होना अनिवार्य है।

कुष्ठ रोग पीड़ितों के लिए विशेष वित्तीय सहायता

कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगता का शिकार हुए व्यक्तियों के लिए सरकार विशेष संवेदनशीलता दिखा रही है। ऐसे पीड़ितों को सरकार द्वाराहर महीने 3000 की पेंशनदी जाती है। राज्य के 13 हजार से अधिक कुष्ठ रोग पीड़ित इस विशेष पेंशन योजना का सीधा लाभ उठा रहे हैं। खास बात यह है कि कुष्ठ रोग पीड़ितों के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा तय नहीं की गई है।

अतिरिक्त सरकारी लाभ और सुविधाएं

इस पेंशन योजना में रजिस्टर्ड दिव्यांग नागरिकों को केवल वित्तीय मदद ही नहीं, बल्कि समाज में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई अन्य प्रकार की मुफ्त सुविधाएं भी दी जाती हैं:

>> यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा।

>> निःशुल्क ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी और अन्य आवश्यक मेडिकल इक्विपमेंट।

>> दिव्यांग श्रेणी के छात्रों के लिए विशेष स्कॉलरशिप की व्यवस्था।

तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए योजना: मासिक पेंशन के

उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में ट्रिपल तलाक (तीन तलाक) से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं और एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए विशेष आर्थिक सहायता और पुनर्वास योजना चलाई जा रही है। सरकार तीन तलाक से प्रभावित महिलाओं को प्रतिमाह 500 के हिसाब से सालाना 6000 की आर्थिक मदद सीधे उनके खातों में भेजती है।

एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए विशेष नियम

एसिड अटैक का शिकार हुई महिलाओं को उनकी शारीरिक स्थिति और घाव की गंभीरता के आधार पर सहायता दी जाती है। यदि एसिड अटैक के कारण गंभीर रूप से शारीरिक अक्षमता आई है, तो उन्हें दिव्यांग श्रेणी में शामिल कर दिव्यांग पेंशन योजना के तहत लाभान्वित किया जाता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून 2026 में एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इन सभी पीड़ित महिलाओं को मुफ्त मकान (प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत) और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख तक के मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा से जोड़ने का कड़ा निर्देश जारी किया है।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना: हादसे या आपदा में जा

उत्तर प्रदेश के अन्नदाताओं (किसानों) को सुरक्षा कवच देने के लिए सरकार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना संचालित कर रही है। खेती-किसानी के दौरान या किसी अप्रत्याशित दुर्घटना में यदि किसी किसान की असमय मृत्यु हो जाती है या वे अपंग हो जाते हैं, तो उनके परिवार को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

यह योजना निम्नलिखित गंभीर दुर्घटनाओं और आपदाओं को कवर करती है:

>> आकाशीय बिजली गिरने (Lightning Strike) या बिजली का करंट लगने पर।

>> खेतों में काम करते समय आग लग जाने या सांप के काटने (Snake Bite) से मौत होने पर।

>> खेती के उपकरणों या अन्य किसी भी प्रकार की दुर्घटना में जान गंवाने पर।

यदि आप खेती के साथ-साथ अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं और किसी अच्छे स्वरोजगार की तलाश में हैं, तो आपसिर्फ 2 लाख में शुरू करें ये बिजनेस, हर महीने 1 lakh की कमाई!के बारे में पढ़ सकते हैं और अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं।

यूपी की बड़ी पेंशन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्ताव

यदि आप इन सरकारी पेंशन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको सरकार द्वारा तय की गई पात्रता और आय सीमा के दायरे में आना होगा। अलग-अलग पेंशन योजनाओं के लिए पात्रता के मापदंड कुछ इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं:

1. वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता व आय

आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ न ले रहा हो और न ही वह रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हो। परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिकतम 46,080और शहरी क्षेत्रों के लिए अधिकतम 56,460से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

2. विधवा पेंशन के लिए पात्रता व आय

महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। यदि महिला ने पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह (दोबारा शादी) कर लिया है, तो वह अपात्र हो जाएगी। इस योजना के लिए पारिवारिक वार्षिक आय की सीमा अधिकतम 2 लाखनिर्धारित की गई है।

3. दिव्यांग पेंशन के लिए पात्रता व आय

आवेदक के पास मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) द्वारा जारी न्यूनतम 40% दिव्यांगता का डिजिटल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। आय सीमा वृद्धावस्था पेंशन के समान ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 46,080 और शहरी क्षेत्रों के लिए 56,460 वार्षिक है।

योजनाओं के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया और समाज कल्याण विभाग

उत्तर प्रदेश की इन सभी पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। आवेदक घर बैठे इंटरनेट के माध्यम सेapply onlineकर सकते हैं। नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर आप अपना आवेदन आसानी से जमा कर सकते हैं:

आवेदन करने के सरल स्टेप्स

>> सबसे पहले उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट (sspy-up.gov.in) पर जाएं।

>> होमपेज पर अपनी संबंधित पेंशन योजना (वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, या दिव्यांग पेंशन) का चयन करें।

>> Online Apply के लिंक पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत व आय संबंधी जानकारी सही-सही भरें।

>> आवश्यक दस्तावेज जैसे- आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र (हाईस्कूल मार्कशीट परिवार रजिस्टर), बैंक पासबुक, फोटो और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट (यदि लागू हो) कोPDFया इमेज फॉर्मेट में अपलोड करें।

>> फॉर्म को पूरी तरह जांचने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें और भविष्य के संदर्भ के लिए रजिस्ट्रेशन स्लिप का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। वेरिफिकेशन सफल होने के बाद आपका नाम लाभार्थीlistमें जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद आप पोर्टल पर जाकर अपनाstatus checkभी कर सकते हैं।

आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर

यदि आपको आवेदन करने में कोई समस्या आ रही है या आप योजना से जुड़ी कोई अन्य विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:

टोल-फ्री नंबर: 1800-419-0001(कार्यदिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क करें)

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में की गई 500 की यह वृद्धि और साथ में मुफ्त मकान व स्वास्थ्य बीमा की सौगात निश्चित रूप से राज्य के गरीब और असहाय परिवारों के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव लाएगी। नियमों में किए गए

बदलाव जैसे कि आयु प्रमाण पत्र के लिए आधार की जगह परिवार रजिस्टर को प्राथमिकता देना, व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाएगा। यदि आप या आपके परिवार में कोई भी इन योजनाओं के लिए पात्र है, तो बिना देरी किए आवश्यक दस्तावेज जुटाकर आधिकारिक पोर्टल पर तुरंत आवेदन करें और सरकार की इन जन कल्याणकारी नीतियों का पूरा लाभ उठाएं।

जनता के सवाल (FAQs)

उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को ₹1000 से बढ़ाकर अब ₹1500 प्रति माह कर दिया है। इसके तहत बुजुर्गों को सालाना कुल ₹18,000 की आर्थिक मदद मिलेगी।

नहीं, सरकार के नए शासनादेश के अनुसार अब आयु प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। बुजुर्गों को उम्र साबित करने के लिए हाईस्कूल की मार्कशीट या परिवार रजिस्टर की नकल दिखानी होगी।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक महिला के परिवार की सालाना आय अधिकतम ₹2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगता का शिकार हुए लोगों को यूपी सरकार द्वारा प्रति माह ₹3000 की विशेष पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।

मासिक वित्तीय सहायता के साथ-साथ मुख्यमंत्री के नए आदेश के अनुसार इन पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मुफ्त पक्का मकान और आयुष्मान भारत योजना के तहत ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा।

दिव्यांग पेंशन का लाभ उठाने के लिए आवेदक का न्यूनतम 40% या उससे अधिक दिव्यांग होना जरूरी है, जिसका सत्यापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) द्वारा जारी सर्टिफिकेट से होता है।

किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए आप उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-419-0001 पर सीधे कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।